



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 546 राँची, सोमवार, 13 भाद्र, 1945 (श०)
4 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-28/2021-22248 (HRMS)--श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग द्वारा दिनांक 07.09.2021 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-180843(HRMS), दिनांक 01.12.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 07.09.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है ।

2. श्री कुमार द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 24.12.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1363(HRMS), दिनांक 04.02.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री कुमार द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-24.12.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 24.12.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया ।

3. संबंधित मामले में श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-19650(HRMS) दिनांक 20.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है ।

4. श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि झूठे धावा एवं बेबुनियाद आरोप में वे विगत एक वर्ष आठ माह के अवधि से निलंबित हैं तथा वे एवं उनकी पत्नी अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। निलंबन अवधि में आधा वेतन भत्ता मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है एवं ईलाज तथा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पूर्णरूपेण बाधित है।

अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री विनय कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-05/2021, दिनांक 06.09.2021 में पारित अंतिम न्याय निर्णय/आदेश के पश्चात् लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BINAY KUMAR (JHK/JAS/232)	DIV COMMISSIONER OFFICE NORTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER NORTH CHOTANAGPUR HAZARIBAGH (HAZARIBAGH)	Under Suspension	श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	14/07/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
